

प्रेषक,

जय प्रकाश पाल
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परियोजना समन्वयक(डास्प),
कृषि विविधीकरण परियोजना,
गौमती नगर लखनऊ।

समन्वय अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 28 फरवरी, 2013

विषय-वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु पदों की निरन्तरता के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके पत्र संख्या-1628/जै0(का)/डास्प/2005, दिनांक 10-01-2013 एवं अज्ञात शा0 पत्र संख्या-1747/424 जै0(का0)/डास्प/2005 vol-III के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा कृषि विविधीकरण परियोजना का कार्यकाल दिनांक 31-03-2013 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया है। इस प्रकार 31 मार्च 2013 को योजना का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। आपके पत्र दिनांक 14-02-2013 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों की योजना के गठन एवं अनुमोदन का कार्य प्रचलित है। परियोजना के स्वीकृत न होने पर भी परियोजना के क्लोजर से सम्बन्धित कार्यों को सम्पादित किये जाने हेतु उक्त पदों की वर्ष 2013-14 के लिये आवश्यकता होगी।

2- आपके द्वारा किये गये अनुरोध पर विचार करने हुये वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-2-2574/दस-98-24(8)/92, दिनांक 02 दिसम्बर 98 के अधीन पदों का कार्यकाल योजना समाप्ति अथवा 28 फरवरी 2014 तक जो भी पहले हो बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान कर्ता है।

3- पदों की आवश्यकता न होने पर किसी भी समय दिनांक 28-02-2014 के पूर्व भी किराये भी समय बिना किसी भी सूचना के पद को समाप्त किया जा सकता है।

4- जिन पदों की निरन्तरता की जा रही है उनका विवरण संलग्न है। इन पदों की निरन्तरता वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु के लिये शासनादेश संख्या-95/सम-73-2012-सम/इं0डी0(48)/2005, दिनांक 08 फरवरी 2008 द्वारा विगत में जारी की गयी थी।

5- उक्त पदों पर होने वाला समस्त ध्यय डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट 0 बजट से वहन किया जायेगा।

संलग्नक: यथावत्।

भवदीय,

(जय प्रकाश पाल)

उप सचिव

संख्या- 98(1)/सम-73-2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, लेखा व हकदारी प्रथम/ लेखा परीक्षा-12, स0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 3- नियोजन विभाग, योजना भवन, लखनऊ।
- 4- सचिव वाइय राहायतित परियोजना अनुभाग।
- 5- वित्त (व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-1/वित्त आयोग अनुभाग-2।
- 6- वैभाषिक आदेश पुरतिका।

आज्ञा सं

(जय प्रकाश पाल)

उप सचिव

